

संख्या-

कार्यालय लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी, सीतापुर।  
/आबकारी/पुनर्व्यवस्थापन/2019-20/ई-टेंडर/सीतापुर

दिनांक-27.08.2019

## ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0-114/2018/4030 ई-2/तेरह-2018-02 /2018 दिनांक 25.12.2018 के अनुक्रम में निर्गत आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्रसं0-42900-42975/दस-लाइसेंस-421/आबकारी नीति क्रियान्वयन/2019-20/ दिनांक: प्रयागराज 11.01.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद सीतापुर में कतिपय अनियमितता पाये जाने के कारण निरस्त हुई देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकान-दुधरा (शाप आई0डी0 15033) के अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 की अवशेष अवधि हेतु पुनर्व्यवस्थापन कार्यालय की पूर्व विज्ञप्तियों के क्रम में ई-टेंडर/आफर के माध्यम से निम्नवत् किया जायेगा।

देशी शराब की दुकान के वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक एम0जी0क्यू0 पर आफर/प्रस्ताव प्राप्त करते हुये प्राप्त उच्चतम एम0जी0क्यू0 आवेदक के पक्ष में दुकान व्यवस्थित की जायेगी। समान आफर प्राप्त होने पर जनपद स्तर पर ही मैन्युअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। देशी शराब की इस दुकान के सम्बन्ध में प्राप्त सर्वोच्च आफर के वार्षिक एम0जी0क्यू0 के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ाकर निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार आंगणित एम0जी0क्यू0 दुकान का वर्ष 2019-20 की अवशेष अवधि के लिये वार्षिक एम0जी0क्यू0 होगा। व्यवस्थापन की अन्य शर्तें इसके पूर्व विज्ञापनों के समान पूर्ववत् रहेगी।

देशी शराब की दुकान हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष प्राप्त आफर के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर के पदनाम से बना हो, ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी। देशी शराब की दुकान हेतु वांछित हैसियत आफर किये गये एम0जी0क्यू0(एम0जी0क्यू0X252/6) के बराबर होनी चाहिये। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी शराब दुकान हेतु प्रोसेसिंग फीस रु0 18000/- एवं उस पर देय 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगी। उक्त धनराशि अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त(लाइसेंसिंग) और सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 एक्साइज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुलखण्ड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या-4483000100050375 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है।

1. आवेदन पत्र में प्रोसेसिंग फीस के भुगतान से सम्बन्धित दिग्दर्शिका आबकारी विभाग की वेबसाइट [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in) पर आनलाइन बिडसमिशन के अन्तर्गत उपलब्ध है। प्रत्येक आवेदक/आफरदाता को DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तभी वह दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।
2. प्रोसेसिंग फीस एवं जी0एस0टी0 की निर्धारित धनराशि आ0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा-हैसियत प्रमाण पत्र/अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई-टेंडर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिये अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल के फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी, जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आफर/टेंडर (एम0जी0क्यू0X30/10) से कम स्वीकार्य नहीं होगी।

ऑनलाइन ई-टेंडरिंग आवेदन हेतु कार्यक्रम निम्नवत् है :-

क्रम सं0	देशी शराब दुकान का नाम	शाप आई0डी0	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 (ब0ली0में)	धरोहर धनराशि (रु0में)
1	दुधरा	15033	7584	कालम-4 के सापेक्ष दिये गये ऑफर के (एम0जी0क्यू0X30/10)

ई-टेंडर/ऑफर से सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,  
सीतापुर।

लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी,  
सीतापुर।

पत्रसंख्या-1641/तददिनांक।  
प्रतिलिपि-

1. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर उक्त विज्ञप्ति को सर्वाधिक प्रचार-प्रसार वाले एक समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर दिनांक-29.08.2019 को प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित करायें।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सीतापुर को उपरोक्त विज्ञप्ति जिला सीतापुर की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी,  
सीतापुर।